न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/35/13

बउनवान

1. माया पत्नि कैलाश जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
   तहसील कठूमर जिला अलवर

--- वादी

बनाम

1. झांझन पत्नि स्व0 कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
2. यादराम पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
3. गेपाल पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
4. गोविन्द पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
5. शीशराम पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
6. वीरपाल पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
7. बंशो पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर
8. तहसीलदार साहब कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर जिला अलवर
9. उप पंजीयक कठूमर

--- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री कृपादयाल :– अधिवक्ता वादी

श्री महेन्द्र सिंह कुपासिया :– अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 30.06.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 9,23,112,116/356,126,133,184,211,212,255,255/358,294/432 किता 13 रकवा 8.32 है0 का 1/8 हिस्सा वाके ग्राम अजीतपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। आराजी वादिया के 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ला0 7 के 7/8 हिस्सा की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकार्ड आराजी है जिस पर

Scanned by CamScanner

वादिया अपने 1/8 हिस्सा पर प्रतिवादी सं0 1 ला0 7 के साथ अपने हिस्से पर शामलात में काबिज रहकर काश्त कर रही है उक्त आराजी अभी अवट है जिसका अभी कानून तकासमा नहीं हुआ है। विवादित आराजी पर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ला0 7 शामलात में काश्त करते हैं।

वादीगण ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 वाके ग्राम अजीतपुरा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

विवादित आराजी पर वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। वादिया विवादित आराजी में अपने 1/8 हिस्सा की आराजी का कानून तकासमा कराना चाहती है। वादिया ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा कराने बाबत कहा तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया।

वहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन कर व पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर वाद वादी दिनांक 07.06.2018 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर से विवादित आराजी की कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी। तहसीलदार कठूमर ने दिनांक 30.06.2018 को अपनी कुरेजात रिपोर्ट हाजिर अदालत होकर पेश की है जो शामिल पत्रावली है। कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर पर अधिवक्ता वादिया ने आपत्ति प्रस्तुत की है। अधिवक्ता वादिया ने आक्षेप किया कि प्रस्तुत कुर्रेजात शामलाती सभी खसरा नम्बरान कुल किता 13 रकबा 8.32 हे0 में से वादिया को किता 13 रकबा 1.04 हे0 भूमि दी गई है। खसरा नम्बर 112 में से 0.06 है0 , 116/356 में से 0.01 हे0, 126 में से 0.02हे0, 133 में से 0.03 हे0, 184 में से 0.12 हे0, 212 मे से 0.08 हे0, 255 मे से 0.07 हे0, 255/358 में से 0.01हे0 , 294/432 मे से 0.06 हे0 भूमि दी गई है जो छोटे छोटे टुकडे दिये गये है। कृषि के लिये Viable नही है। वादिया का खसरा नम्बर 9 पर 0.25 हे0, खसरा नम्बर 23 पर 0.24 हे0, खसरा नम्बर 116 पर 0.35 हे0 व खसरा नम्बर 211 पर 0.20 हे0 कब्जा कास्त है। तद्नुसार वादिया को तकसीम में भूमि दी जावे। वादिया का आक्षेप उचित होने से स्वीकार किया जाता है। वादीगण ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नही की। अतः वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 9 मिन रकवा 1.0 हे0, खसरा नम्बर 23 मिन रकवा 0.32 हे0, खसरा नम्बर 112 मिन रकवा 0.49 हे0, खसरा नम्बर 116 मिन रकवा 1.0 हे0, खसरा नम्बर 126 मिन रकवा 0.11 हे0, खसरा नम्बर 133 मिन रकवा 0.22 हे0, खसरा नम्बर 184 मिन रकवा 0.94 हे0, खसरा

Scanned by CamScanner

नम्बर 211 मिन रकवा 1.42 हे0, खसरा नम्बर 212 मिन रकवा 0.63 हे0, खसरा नम्बर 255 मिन रकवा 0.58 हे0, खसरा नम्बर 255/358 मिन रकवा 0.03 हे0, खसरा नम्बर 294/432 मिन रकवा 0.50 हे0, खसरा नम्बर 116/356 मिन रकवा 0.04 हे0 कुल किता 13 रकबा 7.28 हे0 झांझन पत्नी स्व. कमल सिंह ,यादराम, बंशीधर, गोपालसिंह,गोविन्द, शीशराम,वीरपाल पिता कमल सिंह कौम गुजर राहिन एसबीआई थून को एवं खसरा नम्बर 9 रकबा 0.25 हे0, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.24 हे0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.35 हे0, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 4 रकबा 1.04 हे0 माया पत्नी स्व. कैलाश कौम गुजर राहिन एसबीआई थून को तकसीम में दिया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर(अलवर)

आज दिनांक 30.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर(अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/35/13

बउनवान

1. माया पत्नि कैलाश जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
   तहसील कठूमर जिला अलवर

—— वादी

बनाम

1. झांझन पत्नि स्व0 कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
2. यादराम पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
3. गेपाल पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
4. गोविन्द पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
5. शीशराम पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
6. वीरपाल पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा
7. बंशो पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर निवासी अजीतपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर
8. तहसीलदार साहब कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर जिला अलवर
9. उप पंजीयक कठूमर

—— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 9 मिन रकवा 1.0 हे0, खसरा नम्बर 23 मिन रकवा 0.32 हे0, खसरा नम्बर 112 मिन रकवा 0.49 हे0, खसरा नम्बर 116 मिन रकवा 1.0 हे0, खसरा नम्बर 126 मिन रकवा 0.11 हे0, खसरा नम्बर 133 मिन रकवा 0.22 हे0, खसरा नम्बर 184 मिन रकवा 0.94 हे0, खसरा नम्बर 211 मिन रकवा 1.42 हे0, खसरा नम्बर 212 मिन रकवा 0.63 हे0, खसरा नम्बर 255 मिन रकवा 0.58 हे0, खसरा नम्बर 255/358 मिन रकवा 0.03 हे0, खसरा नम्बर 294/432 मिन रकवा 0.50 हे0, खसरा नम्बर 116/356 मिन रकवा 0.04 हे0 कुल किता 13 रकबा 7.28 हे0 झांझन पत्नी स्व. कमल सिंह ,यादराम,

Scanned by CamScanner

बंशीधर, गोपालसिंह,गोविन्द, शीशराम,वीरपाल पिता कमल सिंह कौम गुजर राहिन एसबीआई थून को एवं खसरा नम्बर 9 रकबा 0.25 हे0, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.24 हे0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.35 हे0, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.20 हे0 कुल किता 4 रकबा 1.04 हे0 माया पत्नी स्व. कैलाश कौम गुजर राहिन एसबीआई थून को तकसीम में दिये जाते है। रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 30.06.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner